कमलेश कुमार V/s शंकर 2020/00048

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/5/25	[illegible] 20/5/25
	20/5/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उप। CPC 07 R11 का जवाब पेश। नकल दिलाई गई। वादी कुछ लिखे 27/5/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
	27/5/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उप। प्रार्थना पत्र 07R11 CPC पर सुनी गई। वादी आदेश दिनांक 30/05/2025 को पेश हो।
	30/05/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। पूर्वादेशानुसार पत्रावली दिनांक - 12/06/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
	12/06/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 8 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 07R11 CPC सपठित धारा 151 जा.दी. न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :–11/2020 जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00040

उनवान कमलेश बनाम् शंकर व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता

उपस्थित :– श्री सनातन पारीक, एज0 प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 8
श्री वीर शर्मा, एज0 अप्रार्थीगण/वादी

–:निर्णय:– दिनांक: – 12/06/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने वाद पेश कर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 726/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू.अ.नि. क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जेला जयपुर में भूमिवादग्रस्त में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु दावा बाबत उद्घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। मिन प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत करवाया कि भूमिवादग्रस्त के एकमात्र तन्हा खातेदार काश्तकार जगदीश पुत्र रघुनाथ रहे है एवं भूमिवादग्रस्त के एकमात्र तन्हा खातेदार काश्तकार जगदीश ने अपने जीवनकाल में भूमिवादग्रस्त को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2012 को प्रतिवादी संख्या 4 भारती सारस्वत को विक्रय कर दी एवं जगदीश पुत्र रघुनाथ ने अपने जीयनकाल में प्रतिवादी संख्या 4 के हक में पंजीबद्ध विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी एवं सक्षम सिविल न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 के हक में पंजीबद्ध विक्रय पत्र को बहाल रखा ऐसी स्थिति में वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज योग्य है। प्रतिवादी संख्या 4 ने भूमि खसरा नम्बर 726/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का विक्रय मिन प्रतिवादी के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2020 को कर दिया एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिये वादी का वाद विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मिन प्रतिवादी के हक में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त करवाये बिना वादी माननीय न्यायालय से कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या 4 के हक में पंजीबद्ध विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई थी एवं सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बहाल रखा गया एवं सक्षम सिविल न्यायालय का आदेश अंतिम आदेश है एवं स्वयं खसरा नम्बर 726/1 के एकमात्र तन्हा खातेदार जगदीश द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि का विक्रय किया जा चुका है तो वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज योग्य है। वादी का वाद पढने मात्र से साफ जाहिर होता है कि वादी को उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिये वादी का वाद सारभूत वादकारण के अभाव में काबिले खारिज योग्य है। वादी के सम्पूर्ण वादपत्र को पढने मात्र से जाहिर होता है कि वादी ने उपरोक्त वाद विधि की मंशा के विपरीत एवं बार्ड बाई लॉ प्रस्तुत किया है, जो कि काबिले खारिज योग्य है। वादी ने उपरोक्त उनवानी वादपत्र स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नही किया है एवं तथ्य छिपाते हुये प्रस्तुत किया है एवं विधि की स्पष्ट मंशा है कि जो कि व्यक्ति न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आयेगा वह किसी प्रकार की कोई रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में सब रजिस्ट्रार को प्रतिवादी संख्या 6 एवं तहसीलदार बस्सी को प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में पक्षकार बनाया गया है एवं धारा 80 सीपीसी में यह विधिक प्रावधान है कि राज्य सरकार या उसके लोक अधिकारी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उसे 2 माह का नोटिस दिया जावेगा, लेकिन उपरोक्त प्रकरण में 80 सीपीसी के तहत 2 माह पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है। इसलिये वादी का वाद विधि में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस0बी0 सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 38/2010 में दिनांक 22.12.2016 को यह आदेश प्रदान किया है कि "

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

यदि वादपत्र सख्ती से आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत नहीं आता है, यह धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है–तुच्छ और परेशान करने वाला वाद प्रारम्भ में ही दबा देना चाहिये" एवं वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है। वह भी तुच्छ एवं परेशान करने वाला ही वाद है। जिसे न्यायहित में प्रारम्भ में दबा दिया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर मिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत करवाया कि वादी के पैतृक भूमिवादग्रस्त में खसरा नम्बर 726/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम कानोता में कानूनन हक व अधिकार निहित है एवं वादी अपने हिस्से की पैतृक भूमिवादग्रस्त पर काबिज है। भूमिवादग्रस्त में वादी के दादा स्व0 जगदीश पुत्र रघुनाथ की स्व अर्जित खातेदारी की भूमि नहीं है बल्कि वादी के परदादा स्व0 रघुनाथ द्वारा भूमिवादग्रस्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 16.01.2012 को पंजीबद्ध करवाया गया रजि0 विक्रय पत्र कानूनन वादी के हक व अधिकारों के बमुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य एवं अवैध है। उक्त विधि विरूद्ध विक्रय पत्र से पाबन्द नहीं हैं एवं प्रतिवादी संख्या 8 का उक्त कथन भी कानूनन चलने योग्य नहीं है कि वादी के दादा स्व0 जगदीश द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में पंजीबद्ध करवाये गये विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय ने बहाल रखा है एवं इस कारण वादी का वादपत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है क्योंकि वादी के पिता शंकर क द्वारा उक्त सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर चुनौती दे रखी है एवं वादी उक्त सिविल न्यायालय में विचाराधीन रहे सिविल वाद में पक्षकार नहीं थे एवं इस कारण वादी उक्त सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से कानूनन पाबन्द नही है। उक्त पैतृक भूमिवादग्रस्त में निहित हक व अधिकार कानूनन प्रभावित नहीं हुये है। वादी ने पैतृक भूमिवादग्रस्त कृषि भूमि में निहित हक व अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु अर्थात अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है एवं काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूचि के तहत घोषणा के वाद–पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार आप श्रीमान न्यायालय को ही प्राप्त है। भूमिवादग्रस्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 16.01.2012 को पंजीबद्ध करवाया गया रजि0 विक्रय पत्र कानूनन वादी के हक व अधिकारों के बमुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य एवं अवैध है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में दिनांक 06.12.2020 को तथा कथित रजि0 विक्रय पत्र उक्त वाद–पत्र के विचाराधीन रहते अवैध रूप से बिना हक व अधिकारों व कब्जे के अभाव में पंजीबद्ध करवाया गया है एवं इस कारण प्रतिवादी संख्या 8 का उक्त विक्रय पत्र धारा 52 सम्पत्ति हस्तानान्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों से प्रभावित हैं एवं कानूनन शून्य एवं अवैध विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2020 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 8 के भूमिवादग्रस्त में कोई हक व अधिकार सृजित नहीं हुये है। इस कारण वादी को कानूनन प्रतिवादी संख्या 8 के उक्त शुन्य विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नही है। उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित कर सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा है कि विक्रय पत्र को राजस्व न्यायालय द्वारा शुन्य घोषित किया जा सकता है, अगर मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है। प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा उठायी गयी आपत्तिया तथ्य व विधि के मिश्रीत प्रश्न है एवं जिनका निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा वादी के वाद–पत्र व प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने पर तनकीयात कायम कर एवं वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर तय किया जा सकता है। अतः वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 8 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर हम पाते है कि वादी ने घोषणा का वाद पेश कर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 726/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू.अ.नि. क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर में भूमिवादग्रस्त में वादी को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। उक्त भूमिवादग्रस्त वादी

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

के पैतृक भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि का एकमात्र तन्हा खातेदार काश्तकार वादी का दादा स्व0 जगदीश पुत्र रघुनाथ था, उक्त भूमिवादग्रस्त का प्रथम बेचान वादी का दादा स्व0 जगदीश पुत्र रघुनाथ ने अपने जीवनकाल में ही जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2012 में प्रतिवादी संख्या 4 भारती सारस्वत को कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र में वादी का पिता शंकर पुत्र जगदीश स्वयं गवाह था। प्रतिवादी संख्या 4 के हक में पंजीबद्ध विक्रय पत्र को जगदीश पुत्र रघुनाथ ने अपने जीवनकाल में सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी, जिसे सक्षम सिविल न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–11 ने दीवानी वाद संख्या 128/12 उनवानी जगदीश प्रधान बनाम श्रीमति भारती सारस्वत व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02–03–2017 में प्रतिवादी संख्या 4 के हक में पंजीबद्ध विक्रय पत्र को बहाल रखा है, जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में नहीं की गई अर्थात उक्त भूमिवादग्रस्त की एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 4 भारती सारस्वत पत्नी प्रदीप कुमार भारद्वाज है। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 4 भारती सारस्वत पत्नी प्रदीप कुमार भारद्वाज ने उक्त भूमि वादग्रस्त का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के मिन प्रतिवादी संख्या 8 प्रेमीला विश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 10 ी नृसिंह विहार सेक्टर डी, लालसागर जोधपुर के हक में दिनांक 09.12.2020 को होकर काबिज काश्त होने से वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि की काश्तकार प्रतिवादी संख्या 8 है। चूंकि वादी के दादा जगदीश पुत्र रघुनाथ द्वारा प्रथम बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय ने वैध माना है। जसकी सक्षम सिविल न्यायालय में अपील नहीं हुई है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 वादग्रस्त भूमि : खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त होने से वादी के उक्त वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में ोई हक व अधिकार निहित नहीं होने से अप्रार्थी/वादी को वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिया ाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने व वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से काबिले खारिज योग्य ते है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 तथा सपठित धारा 1 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 व सपठित ा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा ई बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :–11/2020 जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00048

1. कमलेश कुमार पुत्र शंकलाल जाति ब्राहमण निवासी हल्दानीयों का मोहल्ला ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–:वादी:–

बनाम्

1. शंकर पुत्र जगदीश
2. गेपाल पुत्र जगदीश
3. राधेश्याम पुत्र जगदीश
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी हल्दानीयों का मोहल्ला ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. भारती सारस्वत पत्नी प्रदीप कुमार भारद्वाज जाति ब्राहमण निवासी 2/350 कुडी भगतासनी हाउसिंह बोर्ड जोधपुर।
5. प्रदीप भारद्वाज पुत्र नामालूम जाति ब्राहमण निवासी 2/350 कुडी भगतासनी हाउसिंह बोर्ड जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
7. उपपंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. प्रमीला बिश्नोई पत्नी जगदीश बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 10 बी नृसिंह विहार सेक्टर डी, लालसागर जोधपुर।

–:प्रतिवादीगण:–

दावा बाबत् उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री सुधीर शर्मा, एड0 वादी।
श्री सनातन पारीक, एड0 प्रतिवादी संख्या 8

दिनांक: 12/06/2025

पर्चा डिक्री

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 अन्तर्गत धारा 7 आदेश 11 व सपठित धारा 151 ी.पी.सी. को न्यायाहित में स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 726/1 रकबा 840 है0 वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू.अ.नि. क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के बन्ध में वादी का वाद बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया ता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner